

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर
बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं० :- 44/2019
दायर दिनांक :- 07.06.2019

अनवान

श्रीमति सीमा देवी पत्नि रामेश्वर लाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. श्रीमति मानता देवी पत्नि नन्दलाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर
 2. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा
- प्रतिवादीगण.....

प्रकरण सं० :- 43/2019
दायर दिनांक :- 07.06.2019

अनवान

श्रीमति मानता देवी पत्नि नन्दलाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. श्रीमति सीमा देवी पत्नि रामेश्वर लाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर
 2. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा
- प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक


1. श्री अतुल कुमार जोशी शर्मा, वकील वादी/प्रतिवादी सं. 1
2. श्री शशिकान्त पत्रिया, वकील प्रतिवादी सं. 1/वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 26-12-2022

वादीया का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया था कि ग्राम शिवपुरा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 60/1 कुल कित्ता 01 रकबा 10.00 बीघा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 24.08.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।


सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)


वकील उभयपक्ष उपस्थित। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से उभयपक्ष भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम शिवपुरा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान (रुपये)
1	मानता देवी पत्नि नन्दलाल मीणा नि. तलोदा सा. देह खातेदार	60/1 में से	0.4856	बाराणी III	1.05
		कुल कित्ता 01	0.4856		1.05
2.	सीमा देवी पत्नि रामेश्वर लाल मीणा नि. तलोदा पूर्ण सा. देह खातेदार	60/1 में से	1.1331	बाराणी III	2.46
		कुल कित्ता 01	1.1331		2.46

निर्णय आज दिनांक 26-12-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)
जहाजपुर (भीलवाडा)

अज अदालत - सहायक कलक्टर मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण सं० :- 44/2019
दायर दिनांक :- 07.06.2019

अनवान

श्रीमति सीमा देवी पत्नि रामेश्वर लाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्रीमति मानता देवी पत्नि नन्दलाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

प्रकरण सं० :- 43/2019
दायर दिनांक :- 07.06.2019

अनवान

श्रीमति मानता देवी पत्नि नन्दलाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्रीमति सीमा देवी पत्नि रामेश्वर लाल मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत - 53, 188 आर. टी. ए.

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अतुल जोशी का मिनजानिव मुदई व श्री शशिकान्त पत्रिया का मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-

ग्राम शिवपुरा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किरम	लगान (रुपये)
1	मानता देवी पत्नि नन्दलाल मीणा नि. तलोदा सा. देह खातेदार	60/1 में से	0.4856	बारानी III	1.05
		कुल किता 01	0.4856		1.05
2.	सीमा देवी पत्नि रामेश्वर लाल मीणा नि. तलोदा पूर्ण सा. देह खातेदार	60/1 में से	1.1331	बारानी III	2.46
		कुल किता 01	1.1331		2.46

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसबत मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.12.2022

ju
(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)